भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 179

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 जुलाई, 2022/27 आषाढ़, 1944 (शक) को दिया गया)

सीएसआर के अन्तर्गत एनजीओ परियोजनाएं

179. श्रीमती पूनम महाजन:

श्री धर्मवीर सिंहः

श्री जी.एम. सिद्देश्वरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा सहित देश में सीएसआर कार्यकलापों के माध्यम से पर्यावरण, कौशल विकास, जल, अनुसंधान और स्वच्छता जैसी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं में शामिल गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) सहित सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों की संख्या कितनी है; और

(ख)पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में उक्त संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्वीकृत/आवंटित/उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, इस अधिनियम की अनुसूची-VII तथा कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का व्यापक ढांचा प्रदान किया है। सीएसआर के विधिक ढाँचे में, 'गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)' शब्द को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित अधिनियम की धारा 135 में यह विहित है कि कंपनी के बोर्ड को या तो स्वयं या किसी कार्यान्वयन ऐजेंसी के द्वारा अपने सीएसआर कार्यकलापों को लागू करने का अधिकार है जैसाकि उक्त नियम में उल्लिखित हैं। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में 22 जनवरी, 2021 को संशोधन किया गया था तथा 1 अप्रैल, 2021 से कार्यान्वयन ऐजेंसियों का केन्द्रीय सरकार के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है। 30.06.2022 तक, एमसीए21 रजिस्ट्री में उक्त 32,898 कार्यालय एजेंसियों पंजीकृत की गई हैं।

(ख): सीएसआर ढ़ांचा प्रकटन पर आधारित है तथा सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को वार्षिक रूप से एमसीए 21 रजिस्ट्री में सीएसआर का ब्यौरा फाइल करना अपेक्षित है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में की गयी फाइलिंग के आधार पर, कंपनियों ने क्रमश: वित्त वर्ष 2018-19 में 20,172.07 करोड़ रूपये वित्त वर्ष 2019-20 में 24,891.63 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 2020-21 में 24,865.46 करोड़ रुपये की समग्र राशि खर्च की है। आगे, कंपनियों से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर डाटा 31.03.2023 को या उससे पहले फाइल करना अपेक्षित है। कंपनियों द्वारा की गई सीएसआर फाइलिंग के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल वार्षिक सीएसआर व्यय में से लगभग 60% सीएसआर व्यय कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया गया है।

******